

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय : उपलब्धियाँ और पहले

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वगित चार वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और सुधारों के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मई 2014 से अभी तक अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। खाद्य प्रबंधन को और अधिक कार्यकुशल बनाने न देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अनेक पहल शुरू की गई।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act-NFSA)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयित किया गया है, जिससे लगभग 80.72 करोड़ आबादी लाभान्वित हुई है।
- सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय नरिगम मूल्य को अपरवर्तित रखने का नरिणय लिया है, अर्थात् मोटे अनाज/गेंहू/चावल के लिये 1/2/3 रुपए प्रति किलोग्राम।
- इसके परिणामस्वरूप खाद्य सब्सिडी अब 1.43 लाख करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2014-15 में 1.13 लाख करोड़ रुपए से 26% अधिक है।

राशन कार्डों को समाप्त करना

- राशन कार्डों/लाभार्थियों के रिकार्डों के डिजिटिकरण, आधार सीडिंग के कारण नकली राशन कार्डों की समाप्ति, स्थानांतरण/नविस स्थान परिवर्तन/मृत्यु, लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन होने तक की अवधितथा इसके कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 2.75 करोड़ राशन कार्ड समाप्त कर दिये गए हैं।
- इसके आधार पर सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 17,000 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी सही लाभार्थियों के लिये लक्षित की है।
- राज्यों के भीतर खाद्यान्नों के संचलन तथा उचित दर दुकानों के डीलरों की मार्जनि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को वर्ष 2016-17 के दौरान 2500 करोड़ रुपए और वर्ष 2017-18 के दौरान 4500 करोड़ रुपए जारी किये गए।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (नकद)

- 21 अगस्त, 2015 को 'खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण नियम, 2015' अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाती है।
- वर्तमान में चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली यह योजना कार्यान्वयित की जा रही है।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण की दिशा में व्यवस्थित रूप से प्रगति कर रहा है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख सुधार

- जाली/अपात्र/नकली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिये तथा इसे सही रूप से लक्षित करने के लिये 83.41 प्रतिशत अर्थात् लगभग 19.41 करोड़ राशन कार्ड (29 मई 2018 की स्थिति के अनुसार) आधार के साथ जोड़े गए हैं।

उचित दर दुकानों का स्वचालन

- पायलट योजना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर 2014 में उचित दर दुकानों पर पीओएस मशीनों के इस्तेमाल के लिये दिशा-निर्देश और वनिर्दिष्टियाँ निर्धारित की थीं।
- फलिहाल (29 मई, 2018 की स्थिति के अनुसार) 5,27,930 उचित दर दुकानों में से 3,16,600 दुकानों में पीओएस मशीनें उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटल/कैशलेस/लेस-कैश भुगतान

- लेस-कैश/डिजिटल भुगतान तंत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विभाग ने 7 दिसंबर, 2016 को एईपीएस, यूपीआई, यूएसएसडी, डेबिट/रुपे कार्डों और

ई-वॉलेट के इस्तेमाल के लिये वसितुत दशा-नरिदेश जारी कयि हें । फलिहाल 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 51,479 उचति दर दुकानों में डजिटिल भुगतान की सुवधि उपलब्ध है ।

- उपर्युक्त के अलावा, राशन कार्ड डाटा का 100% डजिटिकरण कर दया गया है, सभी राज्यों के पास पारदर्शिता पोर्टल है, 30 राज्यों में खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन कया जा रहा है और 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ता श्रखला प्रबंधन प्रणाली का कमप्यूटरीकरण कर दया गया है ।

केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम “सार्वजनिक वतिरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन” Integrated Management of PDS (IM-PDS)

- सार्वजनिक वतिरण प्रणाली नेटवर्क तैयार करने हेतु सेंटरल डाटा रपिोजीटरी तथा सार्वजनिक वतिरण प्रणाली की केंद्रीय मानीटरगि प्रणाली (Public Distribution System Network – PDSN) की स्थापना करने और राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी (National level portability) के कार्यान्वयन के लिये यह स्कीम 127.3 करोड़ रुपए के परवियय के साथ अनुमोदति की गई है, जिसका कार्यान्वयन वतितीय वर्ष 2018-19 और वतितीय वर्ष 2019-20 के दौरान कया जाएगा ।

3. खाद्यान्नों की खरीद में सुधार

- रबी वपिणन मौसम 2018-19 के दौरान 347 लाख टन गेहूँ की खरीद की गई थी, जो पछिले पाँच वर्षों में सर्वाधिक है ।
- खरीफ वपिणन मौसम 2016-17 के दौरान 381.06 लाख टन धान (चावल के रूप में) की रिकार्ड मात्रा की खरीद की गई ।

4. खाद्यान्नों के भंडारण में सुधार

गोदामों का नरिमाण

- पछिले चार वर्षों के दौरान नजी उद्यमी गारंटीस्कीम के अंतरगत कुल 22.23 लाख टन भंडारण क्षमता जोड़ी गई है ।

साईलो - भंडारण में आधुनिक प्राद्यौगिकी का इस्तेमाल

- गेहूँ और चावल के भंडारण के लिये भारतीय खाद्य नगिम और राज्य सरकारों सहति अन्य एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक-नजी-भागीदारी पद्धति से स्टील साईलो के रूप में 100 लाख टन भंडारण क्षमता के नरिमाण की रूपरेखा अनुमोदति की गई है ।
- 6.25 लाख टन क्षमता के साईलो का नरिमाण कर लया गया है और 23.5 लाख टन क्षमता के लिये संवदिाँ सौंप दी गई हैं ।

अन्य देशों को खाद्यान्नों की आपूर्ता

- भारतीय खाद्य नगिम के स्टॉक से दान/मानवीय सहायता के रूप में अफगानसितान को 1.10 लाख टन गेहूँ की आपूर्ता की गई है ।

ऑनलाईन खरीद प्रबंधन प्रणाली

Online Procurement Management System (OPMS)

- भारतीय खाद्य नगिम ने ऑनलाईन खरीद प्रबंधन प्रणाली के लिये एक सॉफ्टवेयर का विकास कया है, जिसका उपयोग खरीफ वपिणन मौसम 2016-17 में खरीद के लिये कया जा रहा है ।
- खरीद करने वाले 19 प्रमुख राज्यों में से 17 राज्यों में अब ऑनलाईन खरीद प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह कार्यान्वति कर दी गई है ।

डपि ऑनलाइन प्रणाली (Depot Online system)

- भारतीय खाद्य नगिम के गोदामों के सभी प्रचालनों को ऑनलाइन करने तथा डपि स्तर पर लीकेज को रोकने और कार्यों को स्वचालति करने के उद्देश्य से मार्च 2016 में 27 राज्यों में पायलट आधार पर 31 डपिओं में ‘डपि ऑनलाइन’ प्रणाली शुरू की गई थी ।

5. भांडागारण विकास और वनियामक प्राधकिरण में परविरतन

- वेयरहाऊसों के पंजीकरण की प्रक्रया को सरल बनाने और उनेक बेहतर और प्रभावी वनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिये नया नयिम अर्थात भांडागारण (विकास और वनियमन) भांडागारण पंजीकरण नयिम [Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules], 2017 अधसूचति कया गया है ।

रपिोजीटरीज का पंजीकरण

- एनडब्ल्यूआर प्रणाली [Electronic Negotiable Warehouse Receipt (e-NWR) System] में सुरक्षा, वशिवसनीयता का प्रावधान करने और बैंकों के वतितीय वशिवास में वृद्धि करने के लिये भांडागारण विकास और वनियामक प्राधकिरण ने वेयरहाऊस पंजीयन की ऑनलाईन प्रक्रया शुरू की है और रपिोजीटरीज के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक एनडब्ल्यूआर जारी करने की शुरुआत की है ।
- भांडागारण विकास और वनियामक प्राधकिरण ने ई-एनडब्ल्यूआर के सृजन तथा प्रबंधन के लिये नेशनल इलेक्ट्रोनिक रपिोजीटरी लमिटिड

(National Commodity & Derivatives Exchange Limited-NCDEX द्वारा प्रायोजित) और सीडीएसएल कमोडिटी रपोजीटरी लिमिटेड (Central Depository Services Ltd -CDSL द्वारा प्रायोजित) नामक दो रपोजीटरीज़ की नियुक्ति की है। दोनों रपोजीटरीज़ ने दिनांक 26.09.2017 से ई-एनडब्ल्यूआर जारी करना शुरू कर दिया है।

6. एससी/एसटी/ओबीसी हॉस्टल में पोषण के पर्याप्त मानकों को सुनिश्चित करने के लिये अनाज आवंटन

- भारत सरकार ने एक नई स्कीम रविमप करके अधिसूचिती की है, जिसके अंतर्गत अनुसूचिती जाति/अनुसूचिती जनजाति/ओबीसी हॉस्टल में पोषण के पर्याप्त मानकों को सुनिश्चित करने के लिये सब्सिडी वाली कीमतों पर खाद्य पदार्थों को कल्याण और समाज के कमज़ोर वर्गों के विकास के लिये आवंटित किया जा रहा है।
- योजनाबद्ध दशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचिती जाति/अनुसूचिती जनजाति/ओबीसी समुदाय से संबंधित निवासी छात्रों के कम-से-कम 2/3 वाले छात्रावास सभी निवासी छात्रों के लिये सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं, जिनमें अन्य श्रेणियों के लोग शामिल हैं।
- इस योजना के तहत खाद्यान्न का केंद्रीय मूल्य बीपीएल दरों पर तय किया गया है। गेहूँ और चावल के मुद्दे (वभिन्न कषेत्रों में खाद्य आदतों के आधार पर तय किया जाने वाला अनुपात) निवासियों की पोषण आवश्यकता के अनुसार है, प्रति माह अधिकतम 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति निर्धारित है।

7. भारतीय खाद्य नगिम में पेंशन स्कीम और सेवानिवृत्ति उपरांत चकितिसा स्कीम

- पेंशन स्कीम और सेवा निवृत्ति उपरांत चकितिसा स्कीम को लागू की मांग भारतीय खाद्य नगिम के कर्मचारियों द्वारा काफी समय से की जा रही थी।
- भारत सरकार द्वारा दोनों स्कीम अगस्त 2016 में अनुमोदित की गईं और इनमें भारतीय खाद्य नगिम के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। पेंशन स्कीम 01.12.2008 से कार्यान्वित की गई है और सेवानिवृत्ति उपरांत चकितिसा स्कीम 01.04.2016 से प्रभावी हुई है।

उपभोक्ता मामले विभाग

1.) बेहतर उपभोक्ता संरक्षण

- 31 वर्ष पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये 05.01.2018 को संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2018 पेश किया गया।
- इस अधिनियम में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जानी जाने वाली एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना करने का प्रावधान है, जो अनुचित व्यापार और भ्रामक वजिज्ञापनों इत्यादी की जाँच करेगी।
- उपभोक्ता विवादों के संबंध में त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करने हेतु एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में "मध्यस्थता" का प्रावधान; किसी दोषपूर्ण उत्पाद के कारण उपभोक्ता को होने वाली हानि के लिये उत्पाद दायित्व संबंधी प्रावधान और उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता विवाद अधिनियम प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में विभिन्न प्रावधान किये गए हैं।

2) राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

- उपभोक्ता विवादों के प्रभावी एवं तीव्र प्रतिक्रिया के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का सुदृढीकरण किया गया है।
- देश के विभिन्न कषेत्रों के लोगों को उनकी भाषा में जानकारी देने तथा उनकी भाषा में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करने के लिये छह जोनल हेल्पलाइन, प्रत्येक में 10 हेल्पडेस्क सहित, स्थापित की गई हैं।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के अंतर्गत कंवरजेंस कार्यक्रम में 430 कंपनियों के साथ भागीदारी की गई है, जो शिकायतों का शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित करता है।

3) बेहतर गुणता आश्वासन

- 12 अक्टूबर, 2017 से नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 लागू किया गया है।
- इस नए अधिनियम में किसी अनुसूचित उद्योग की वस्तु अथवा मद, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा, जिसे जनहति में अथवा मानव, पशु अथवा पादप स्वास्थ्य के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा अथवा अनुचित व्यापार की रोकथाम अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है, को अनिवार्य प्रमाणन कषेत्र के अंतर्गत लाने के लिये सक्षम बनाने का प्रावधान है।
- इसमें वनिर्माताओं को कारोबार करने की सरल सुविधा प्रदान करने के लिये अनुरूपता की स्वतः घोषणा सहित अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के बहु-प्रकार को अधिसूचित करने का भी प्रावधान है। इसमें मूल्यवान धातु की वस्तुओं की हॉलमार्कगि को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है।

4) मात्रा आश्वासन

- उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने तथा व्यवसाय की सुविधा प्रदान करने के लिये, अधिक माप वजिज्ञान (पैकबंद वस्तुएँ) नियमावली में 1 जनवरी, 2018 से नमिनानुसार संशोधन किया गया:-
 - ◆ ई-कॉमर्स मंच पर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं पर नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित घोषणाएँ होनी चाहिये।
 - ◆ नियमावली में यह विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति समरूप पूर्व-पैकबंद वस्तु पर भिन्न-भिन्न अधिकतम खुदरा मूल्य (दोहरा एम.आर.पी.) घोषित नहीं करेगा।
- घोषणा के लिये अक्षरों तथा संख्याओं के आकार को बढ़ाया गया है, ताकि उपभोक्ता इन्हें आसानी से पढ़ सकें, नबिल मात्रा जाँच को और अधिक वैज्ञानिक बनाया गया है।

- ◆ सर्वेच्छक आधार पर बार-कोड/क्यू आर कोडिंग की अनुमति दी गई है।
- ◆ खाद्य उत्पादों पर घोषणाओं के संबंध में प्रावधान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत न्यमन के साथ सुमेलित किये गए हैं।
- ◆ औषध घोषित किये गए चिकित्सा यंत्रों को नयिमावली के अंतर्गत की जाने वाली घोषणाओं के दायरे में लाया गया है।
- ◆ कृषेत्तीय नरिदेश मानक प्रयोगशालाओं द्वारा 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ समय का प्रसार “सेकेंड” कया जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बैंकगि प्रणाली में सहायता मलैगी।

5) आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य

- पहली बार, 20.5 लाख मीट्रिक टन तक के दालों के बफर स्टॉक का सृजन उपभोक्ता मामले वभाग की मूल्य स्थिरीकरण कोष स्कीम के ज़रयि उपभोक्ताओं के लयि दालों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को प्रतबिंधित करने के उद्देश्य से कया गया है।
- देश भर के 102 केंद्रों की 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की दैनिकि आधार पर नगिरानी की जा रही है। इनमें से, देश भर में वर्ष 2014 से 45 नए मूल्य सूचना केंद्रों को जोड़ा गया है, जनिमें से दो केंद्र पूर्वोत्तर से है।

6) डिजिटल पहलें

- उपभोक्ता शकियत प्रतलौष तंत्र तथा उपभोक्ताओं को जानकारी का प्रसार करने में शामिल वभिनिन हतिधारकों के लयि एक साझा आई.टी. मंच प्रदान करने हेतु सतिंबर 2016 के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेलपलाइन के अंतर्गत एक नया पोर्टल इनग्राम आरंभ कया गया है।
- बारकोड रीडर एप “स्मार्ट कंज्यूमर” जो कउत्पाद का वविरण जानने तथा पैकबंद वस्तुओं के संबंध में शकियतें दर्ज करने के लयि एक एप्लीकेशन है, को लाया गया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ministry-of-consumer-affairs-food-public-distribution-highlights-key-achievements-initiatives-of-last-four-years>

